

लोकअदालत

सत्र-2019

प्रदस्ता सं०:-

आदेश फलक :-

विनिश्चय वाद सं०

489 / 2019

दंड प्र० सं० 107

शाहीर कुमार पाख्राम विककी तिवारी अफ जपराप्रतिवारी

वाद लग्बित अन्तर्गत न्यायालय

जमुंडा पक्षडिकारी सदर भेकिनी नगर


आदेश की तिथि


आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।  
विनिश्चय वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष  
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि दोनों  
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न  
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतीत होता है । अतः  
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक  
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।

  
सदस्य 23.02.19

  
सदस्य